बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 3722353 पटना, दिनांक 30/05/18

ग्रा0वि0-5/IAY-PMAY(SP)-102-26/2017

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (ग्रामीण) के अंतर्गत विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषण के संबंध में ।**

प्रसंग :- जि0ग्रा0विकास अभिकरण, दरभंगा का पत्रांक-969 दिनांक-14.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त विषयांकित विशेष परियोजना प्रस्ताव की विभाग स्तर पर समीक्षोपरान्त निम्न त्रुटियाँ पाई गई है :-

(1) विशेष परियोजना से संबंधित प्रपत्र की कंडिका-1 में दिये गये प्रमाण पत्र के संदर्भ में विदित है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा उक्त वित्तीय वर्ष के पूर्व के प्रभावित परिवारों का भी विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के फ्रेमवर्क के अध्याय-11 में दिये गये प्रावधानों के आधार पर ही विचारणीय होगा । अतएव लाभुकों का निर्धारण SECC 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों की सूची से तैयार की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से की जायेगी ।

(2) प्रपत्र की कंडिका-8 में दिये गये प्रमाण-पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में लाभुक के शामिल होने का प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित है ।

(3) कंडिका-9 में दर्शाये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न नहीं है ।

(4) विशेष परियोजना प्रस्ताव में शामिल किये गये प्रभावित परिवारों की सूची में कुछ परिवारों का प्राथमिकता सूची का क्रमांक यथा-03, 278, 283, 280 दर्शायी गयी है । इस संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा कि इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अबतक आवंटित लक्ष्य के अंतर्गत आवास की स्वीकृति दी गई है अथवा नहीं ।

(5) ग्राम पंचायत रूपौली की सूची में मो0 अस्वास का प्राथमिकता सूची का क्रमांक अंकित नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल है ।

(6) ग्राम पंचायत अरैला की सूची अपठनीय है ।

(7) लाभुकों की सूची टंकित होने के साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है ताकि इसकी समीक्षा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर सुलभ रूप से हो सके ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित त्रुटियों का समाधान कते हुए विशेष परियोजना प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

30/5

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 372353 पटना, दिनांक 30/05/18

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/5

सरकार के संयुक्त सचिव